सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 58/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री हमीद उर्फ पंजी उम्र 32 वर्ष पुत्र वहीद शाह जाति मुसलमान निवासी छबडा जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– गैरसायल स्वंय उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 15.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री हमीद उर्फ पंजी पुत्र वहीद शाह जाति मुसलमान निवासी छबडा थाना छबडा जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबडा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना छबडा मे वर्ष 2001 से 2014 के मध्य कुल 10 प्रकरण दर्ज हुये है। जो निम्न प्रकार है अवैध हथियार, अवैध शराब एवं मादक पदार्थो की तस्करी, आम जन के साथ मारपीट, चोरी, सम्बन्धी दर्ज होकर चालान पेश न्यायालय किये जा चूके है। उक्त प्रकरणों में से यह व्यक्ति 03 प्रकरण अवैध हथियार एवं 01 प्रकरण अवैध शराब में न्यायालय से सजायाब हो चूका है तथा इसके विरूद्ध धारा 110 जा0फो0 एवं 122 जा0फो0 के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चूकी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	मुकदमा नं0	जुर्म धारा	चार्जशीट नं0 एवं दि0	फैसला न्यायालय
1.	57/01 दि. 18.1.01	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	सीएस न0 40/28.02.01	सजा 07.03.2009
2.	177/01 दि. 14.05.01	धारा 379 भादस	सीएस न0 129/31.05.01	पेडिंग कोर्ट
3.	186/03 दि. 30.05.03	धारा 341, 323,334 भादस	सीएस न0 146/27.06.03	पेडिंग कोर्ट
4.	457/09	धारा 379 भादस	सीएस न0 246/28.10.09	पेडिंग कोर्ट
5.	315/11 दि. 20.09.11	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	सीएस न0 226/29.09.11	पेडिंग कोर्ट

6.	53/02 दि. 16.02.02	धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट	सीएस न0 62/30.04.02	पेडिंग कोर्ट
7.	20/13 दि. 16.02.13	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	सीएस न0 15/28.02.13	सजा
8.	417/13 दि. 17.10.13	धारा 16/54 एक्साईज एक्ट	सीएस न0 309/25.10.13	सजा
9.	451/13 दि. 07.11.13	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	सीएस न0 335/14.11.13	सजा
10.	192/14 दि. 25.04.14	धारा 379 भादस	सीएस न0 119/30.04.14	
11.		110 जा0फो0		
12.		122 जा0फो0 14.06.15		

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरणो मे एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के 1 प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य मे मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 1.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ मे वर्ष 2001 से 2014 के मध्य कुल 10 प्रकरण दर्ज हुये है। गैरसायल को उपरोक्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरणो मे एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के 1 प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के द्वारा कहा गया कि गैरसायल ग्राम छबडा जिला बारॉ का रहने वाला गरीब व्यक्ति है। उसके विरूद्व पुलिस द्वारा कुछ मुकदमे तो झूठे बनाये गये है। गैरसायल बाल बच्चेदार व्यक्ति है जिसके ऊपर अपनी पत्नि एवं बच्चो की देखरेख की जिम्मेदारी है। गैरसायल एक मात्र अपने परिवार का भरण पोषण एवं देखभाल करने वाला व्यक्ति है। गैरसायल हम्माली कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गैरसायल के विरूद्व उक्त जो मुकदमे दर्ज हुये है वह परिस्थितिवश हुये है। गैरसायल की परिस्थिति को देखते हुये, गैरसायल के साथ नरमी बरतते हुये गैरसायल के प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रकरण मे निवेदन है कि गैरसायल के साथ नरमी का रूख बरतते हुये गैरसायल के प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

इसके विरूद्व ए.पी.पी. द्वारा कहा गया कि गैरसायल को उपरोक्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरणो मे एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के 1 प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। इस तरह गुण्डा एक्ट की परिभाषा मे गैरसायल का आना पूर्णतया सिद्व है।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे मे प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ मे वर्ष 2001 से 2014 के मध्य कुल 10 प्रकरण दर्ज हुये है। गैरसायल को उपरोक्त धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरणो मे एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के 1 प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री हमीद उर्फ पंजी पुत्र वहीद शाह जाति मुसलमान निवासी छबडा थाना छबडा जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरणो मे एवं धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के 1 प्रकरण मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री हमीद उर्फ पंजी पुत्र वहीद शाह जाति मुसलमान निवासी छबडा थाना छबडा जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र छबडा से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री हमीद उर्फ पंजी पुत्र वहीद शाह जाति मुसलमान निवासी छबडा थाना छबडा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना छबडा से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबडौद जिला बारॉ को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 1.4.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबडौद जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना मे जिले के पुलिस थाना क्षेत्र छबडा से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबडौद जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ